भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2001/माघ 27, 1922
No. 38] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2001/MAGHA 27, 1922

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2001

कर्मचारी उपदान (ग्रेच्युटी) और अधिवर्षिता निधि विनियम, 2000

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशकों का बोर्ड, एतद्द्वारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सभी कर्मचारियों को सांवत्त उपदान (ग्रेच्युटी) और अधिवर्षिता निधि के गठन और प्रबंध हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम — इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान (ग्रेच्युटी) और अधिवर्षिता निधि विनियम, 2000 कहा जाएगा।

2. परिभाषाएं — जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में -

(क) "लघु उद्योग बैंक" से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है।

(ख) "बोर्ड" से लघु उद्योग बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है।

(ग) "निधि" से विनियम 3 में निर्दिष्ट भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान (ग्रेच्युटी) और अधिवर्षिता निधि अभिप्रेत है।

(ङ) " अधिवर्षिता लाभों " से, इन्हीं नियमों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि अथवा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि, जब भी यह प्रवृत्त हो, में किए गए अंशदान सम्मिलित नहीं है ।

(ड) " वर्ष " से 31 मार्च को समाप्त वर्ष अभिप्रेत है ।

3. निधि का गठन

लघु उद्योग बैंक एक निधि रखेगा, जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान (ग्रेच्युटी) और अधिवर्षिता निधि कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित मदें जमा की जाएंगी :

(क) लघु उद्योग बैंक के कर्मचारियों को संदेय उपदानों, जिसमें अतिरिक्त उपदान शामिल हैं, अथवा पेंशन या अन्य अधिवर्षिता लाभों के मदे दायित्वों की पूर्ति के लिए इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख के पूर्व लघु उद्योग बैंक द्वारा निधि में की गई सभी धनराशियां;

(ख) विनियम 6 के खंड (ख) के अधीन, किसी वर्ष में निधि से संदाय की गई धनराशि, जिसे पांच लाख रुपये के निकटतम उच्चतम गुणज तक बढ़ाया गया हो, के बराबर धनराशि उत्तरवर्ती वर्ष में ;

(ग) प्रशासकों द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि, जब भी स्थापित हो, से निधि में अंतरित की जाने वाली धनराशियां ;

(घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन विनियम के विनियम 31 के निबंधनों के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा लौटाई गई धनराशियां ;

(ङ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन विनियम द्वारा शासित सभी कर्मचारियों की बाबत लघु उद्योग बैंक द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में किए गए कुल अंशदान के बराबर की धनराशि ;

(च) ऐसी धनराशि, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग बैंक की राय में आवश्यक हो -

(i) निधि में जमा धनराशि का अतिशेष;

(ii) लघु उद्योग बैंक के कर्मचारियों की संख्या;

(iii) उपदानों, जिसमें अतिरिक्त उपदान शामिल है, अथवा पेंशन या अन्य [illegible] के लिए लघु उद्योग बैंक का अनुमानित दायित्व; और

(iv) कोई अन्य प्रासंगिक प्रतिफल

4. निधि का प्रशासन — यह निधि लघु उद्योग बैंक के पास रखी जाएगी तथा इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए लघु उद्योग बैंक की होगी और इसका प्रशासन निदेशक बोर्ड अथवा निदेशक बोर्ड की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा ।

5. ब्याज — लघु उद्योग बैंक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष के अंत में निधि की अतिशेष धनराशि पर परिकलित ब्याज धनराशि, जिसका परिकलन उस दर पर किया जाएगा, जिस पर पिछली बार, यथास्थिति, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि अथवा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि, जब भी प्रवृत्त हो, में ब्याज जमा किया गया था, निधि में जमा करेगा ।

6. निधि से संवितरण — निधि की धनराशियों का उपयोग निम्नलिखित का संदाय करने के लिए किया जाएगा

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन विनियम के उपबंधों के अनुसार, लघु उद्योग बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन

(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा नियम अथवा विनियम के अधीन लघु उद्योग बैंक द्वारा संदेय उपदान, जिसमें अतिरिक्त उपदान शामिल है, अथवा अन्य अभिदर्शित लाभ

7. लेखा विवरण — निधि के लेखे प्रत्येक वर्ष के अंत में तैयार किए जाएंगे तथा लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के आगामी बोर्ड अथवा बोर्ड की कार्यपालक समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

सी. सी. सिंगालकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[विज्ञापन-III/IV/132/2000/असा.]

प्रकाशित किया जाता है कि लघु उद्योग बैंक के निदेशकों के बोर्ड ने दिनांक जून 05, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान (सेवानिवृत्ति) और अभिदर्शित [illegible] विनियम, 2000 को अनुमोदित किया और संशोधन किया है ।

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2001

Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 2000

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India, hereby makes the following regulations for the constitution and management of a gratuity and superannuation fund in respect of all employees of the Small Industries Development Bank of India, namely :—

1 Short title

These regulations shall be called the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 2000.

2 Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires--

(a) "Small Industries Bank" means the Small Industries Development Bank of India, established under sub-section (1) of Section 3 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);

(b) "Board" means Board of Directors of the Small Industries Bank.

(c) "Fund" means the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund referred to in Regulation 3.

(d) "Superannuation benefits" do not include contributions to the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund or the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund, as and when it comes into force, as the case may be.

(e) "Year" means the year ending on the 31st March.

3 Constitution of the fund

The Small Industries Bank shall have a Fund, to be called the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund, and there shall be credited thereto -

(a) all moneys earmarked by the Small Industries Bank, before the date of commencement of these Regulations, for meeting the liability on account of gratuities, including additional gratuities, pension or other superannuation benefits payable to the employees of the Small Industries Bank;

(b) an amount equal to the amount paid from the Fund in any year under clause (b) of Regulation 6 increased to the nearest highest multiple of rupees five lakh in the succeeding year;

(c) the amounts to be transferred to the Fund by the Administrators from the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund as and when established;

(d) the amounts refunded by the retired employees in terms of Regulation 31 of the Small Industries Development Bank of India Pension Regulations;

(e) an amount equal to the total subscription made to the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund by the Small Industries Bank in respect of all the employees governed by the Small Industries Development Bank of India Pension Regulations;

(f) such amount as, in the opinion of the Small Industries Bank, may be necessary having regard to -

(i) the balance of the amount standing to the credit of the Fund;

(ii) the number of employees of the Small Industries Bank;

(iii) the accrued liability of the Small Industries Bank for the payment of gratuities, including additional gratuities, pension or other superannuation benefits; and

(g) any other relevant consideration.

4	Administration of the fund	The Fund shall be held by the Small Industries Bank and subject to the provisions of these Regulations shall belong to the Small Industries Bank and be administered by the Board or the Executive Committee of the Board.
5	Interest	The Small Industries Bank shall credit to the Fund at the end of every year an amount calculated on the balance in the Fund at the end of that year, at the rate at which interest was last credited to the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund or the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund, as and when it comes into force, as the case may be.
6	Disbursements from the fund	The moneys in the Fund shall be utilised for making payments -
		(a) on account of pensions to employees who have retired from the service of the Small Industries Bank or the members of their family in accordance with the provisions of the Small Industries Development Bank of India Pension Regulations.
		(b) on account of gratuities, including additional gratuities, or other superannuation benefits, payable by the Small Industries Bank under the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 2000, or any law or rules or regulations for the time being in force.
7	Statement of accounts	The accounts of the Fund shall be made up as at the end of each year and an audited statement of the accounts shall be submitted to the Board or the Executive Committee of the Board not later than the 30th September of every year.

P. B. NIMBALKAR, *Chairman and Managing Director*

[ADVT-III/V/139/2000/Exty]

Certified that the Board of Directors of Small Industries Bank in its meeting held on June 5, 2000 at Bangalore has approved and adopted the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 2000.

A.S. KINI, *Chief General Manager*

Printed by the Manager, Govt. Of India Press, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054